बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 102258 (आव०) पटना, दिनांक 26-04-12

R.11019/249/2010-Sec07(5)

प्रेषक,

मदनजी पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना एवं जनगणना के पश्चात इससे संबंधित जन शिकायत निवारण (PGR) की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 67.41 करोड़ (सड़सठ करोड़ एकतालीस लाख) रूपये का आवंटन ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-101535 दिनांक-20.04.12

महाशय,

निदेशानुसार संदर्भित स्वीकृत्यादेश के प्रसंग में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना एवं जनगणना के पश्चात इससे संबंधित जन शिकायत निवारण (PGR) की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 67.41 करोड़ (सड़सठ करोड़ एकतालीस लाख) की राशि आवंटित की जाती है :-

2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-101535 दिनांक-20.04.12 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3) आवंटित राशि मॉग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0101-बी.पी.एल. कार्य विपत्र कोड-पी.2216031050101 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4) वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस कार्य के लिए 120.00 करोड़ रूपये का बजट उपबंध है तथा समतुल्य राशि का योजना उद्व्यय कर्णांकित है ।

5) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी ।

6) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि की एक मुश्त निकासी कर बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में जिलों एवं बेल्ट्रान तथा अन्य संस्थाओं को राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

7) स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा, रोकड़ बही, आदि का संधारण विभागीय लेखा शाखा द्वारा अलग से किया जायेगा ।

26/04/2012

8) यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों में निहित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 दि0-17.11.07 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

9) वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

10) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित विवरणी तथा निकासी की गई राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगें ।

11) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

26/04/2012

(मदनजी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 102258 (आ0) पटना, दिनांक 26-04-12

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/04/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 102258 (आ0) पटना, दिनांक 26-04-12

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/04/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 102258 (आ0) पटना, दिनांक 26-04-12

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- विभागीय बजट प्रशाखा-10/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 के रक्षी पंजी में संधारित की जाएगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

26/04/2012

सरकार के संयुक्त सचिव